

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां बनाम दरवारी लाल पुत्र सन्तो


24.01.2025

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिवक्ता उपस्थित आये। गैर सायल अधिवक्ता की बहस सुनी गई। गैर सायल अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जबाव में प्रस्तुत लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में अवगत कराया गया कि गैर सायल एक साधारण व्यक्ति है जो कानून से अनभिज्ञ है इसलिए निर्माण कार्य शुरू कराने से पहले भूमि रूपान्तरण कराने बाबत् नियमों की कोई जानकारी नहीं थी तथा गैर सायला की मंशा राज्य सरकार को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने की नहीं थी। पटवारी द्वारा गैर सायला को मौके पर जाकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही निर्माण कार्य रोके जाने हेतु पाबन्द किये जाने पर उसी वक्त निर्माण कार्य रोक दिया गया तथा राज्य सरकार के प्रावधानानुसार भूमि रूपान्तरण कराये जाने हेतु नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर दिया है जिसकी छायाप्रति जबाव के साथ संलग्न की गई है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

गैर सायल अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया कि वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 785 रकबा 0.60 हैक्टेयर वाके ग्राम जुरहरा-02 तहसील जुरहरा जिला डीग पर गैर सायला द्वारा कोई निर्माण कार्य जारी नहीं है तथा संबंधित हल्का पटवारी द्वारा पाबन्द किये जाने पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है एवं राज्य सरकार के प्रावधानानुसार ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार भूमि रूपान्तरण कराये जाने हेतु आवेदन किया गया है जो नियमानुसार प्रक्रियाधीन है। अतः गैर सायल अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत लिखित जबाव के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर ड्रॉप/खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 785 रकबा 0.60 हैक्टेयर वाके ग्राम जुरहरा-02 तहसील जुरहरा जिला डीग के संबंध में विचाराधीन प्रकरण बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर ड्रॉप/खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०

